यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय, समाज कल्याण हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय निदेशालय, समाज कल्याण वभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26.04.2017 से 06.05.2017 तक श्री राजबहादुर, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, एवं श्री सुनील कुमार सन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 19.04.2016 से 26.04.2016 तक श्री श्री डी.एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 07/2014 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. **(i)** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः इकाई द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचा लत व भन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृ त्त, शादी वमारी, अनुसू चत जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसू चत जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास आदि योजनाओं का संचालन एवं अनुश्रवण कया जाता है।

(ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनरा श रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत /आ धक्य
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	बचत/आ धक्य	आवंटन `	व्यय `	
2014-15	Nil	Nil	188.55	160.31	28.24	Nil	Nil	Nil
2015-16	Nil	Nil	292.98	256.99	35.99	Nil	Nil	Nil
2016-17	Nil	Nil	260.67	252.27	8.40	Nil	Nil	Nil

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(धनरा श रू. लाख में)

योजना का नाम	2014-15			2015-16			2016-17		
	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा. अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अनुसू चत जाति, जनजाति के दशमोत्तर छात्रवृ त्त	--	1800	1800	--	--	--	--	--	--
अन्य पछडी जातिया दशमोत्तर छात्रवृ त्त	--	610	610	--	--	--	--	--	--
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	4260	6584	8925	1919	7126	6741	2304	8099	8002
अनु. मेरिट उच्चीकृत		5	5		4	--	--	--	--
अनु.जाति के 9-10 कक्षा की छात्रवृ त्त	--	1626	1486	--	--	--	--	--	--
अनु. वकास योजना	--	--	--	--	864	833	--	8956	4064
वशेष केन्द्रीय सहायता एस सी एस पी	--	--	--	---	--	--	--	500	500
आ र्थक रूप से पछड़े वर्ग की वकास योजना	--	--	--	--	726	700	--	675	45
वकलांग के लए वैरियर फ्री व्यवस्था	--	--	--	--	32	32	--	--	--
अनु जाति/जनजाति अत्याचार उत्पीडन प्रति केन्द्र पो षत	--	22	20	2	35	17	18	13	7

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई (अ) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- स चव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ⟶ जिला समाज कल्याण अ धकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में निदेशालय, समाज कल्याण वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय, समाज कल्याण वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2017 को

वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। शादी बीमारी योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृ त्त योजना, अनुसू चत जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सु वधाओं का वकास, गौरा देवी कन्याधन योजना आदि का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनांतर्गत कये गये अ धकतम व्यय आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तर–01.... अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य सम्पूर्ण धनराशि रु0 74.56 करोड आवंटित किये जाने के बावजूद विगत 02 वर्षो में केवल 50 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूर्ण किया जाना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य के सभी 13 जनपदों के लिए 04 शासनादेश के माध्यम से 692 कार्यो के निर्माण के लिए मार्च 2015 में धनराशि रु0 7455.897 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था। इन कार्यो में सामुदायिक मिलन केन्द्र, बारात घर आदि कार्य शामिल थे। शासनादेश में निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों का पालन किया जाना प्रावधानित था;

1. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में पूर्व में संचालित/स्वीकृत न हो।

2. कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाय जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को दिये जाने की आवश्यकता हो। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।

3. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण की होगी।

कार्यालय निदेशक, समाज कल्याण के योजना से सम्बन्धित अभिलेखों तथा प्रस्तुत विवरण की जॉच में पाया गया कि 692 निर्माण कार्यो के लिए आवंटित धनराशि रु0 7455.897 लाख के सापेक्ष राज्य के सभी जनपदों में 636 निर्माण कार्य सम्पादित किये जाने हेतु धनराशि रु0 5752.8546 लाख विभिन्न कार्यदायी संस्था को प्रदान किया गया। जिनमें से कार्यदायी संस्था द्वारा 347 कार्य पूर्ण करते हुए धनराशि रु0 4595.213 लाख का व्यय किया गया तथा 289 कार्य प्रगति पर दर्शाये गये थे। आगे जॉच में पाया गया कि 02 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वर्तमान में विभिन्न कार्यदायी संस्था के पास धनराशि रु0 1157.6416 लाख अवशेष पडी थी तथा धनराशि रु0 1044.062 लाख जनपद स्तर पर अवशेष पडी थी। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वीकृत कार्यो में 02 वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वर्तमान तक 56 कार्य निर्माण हेतु किसी भी कार्यदायी संस्था को सौपा ही नहीं गया था। जनपद रुद्रप्रयाग में रु0 210.00 लाख से निर्मित होने वाले स्वीकृत 50 कार्यो में से एक भी कार्य का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था तथा सम्बन्धित धनराशि जनपद स्तर पर विगत 02 वर्षो से अवरुद्ध पडी है। यह भी पाया गया कि पिथौरागढ जनपद में 84 कार्यो हेतु स्वीकृत धनराशि 1819.24 लाख के सापेक्ष सभी कार्यो के निर्माण हेतु धनराशि रु0 1517.84 लाख कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया गया। जिनमें से रु0 208.984 लाख कार्यदायी संस्था के पास तथा रु0 301.40 लाख जनपद स्तर पर अवरुद्ध पडी थी। इस प्रकार से विगत दो वर्षो में निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि निर्गत होने के उपरान्त भी केवल 347 कार्य अर्थात लगभग

50 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किये जा सके थे। निदेशालय स्तर से इन निर्माण कार्यो का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था। इस प्रकार से विभागीय उदासीनता के कारण अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि आवंटित हाने के बावजूद भी वर्तमान तक केवल 50 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किये जा सके थे।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठकों में समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्माण कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया जाता है। जनपद रुद्रप्रयाग में कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि स्वीकृत कार्यो पर क्षेत्रीय विधायक द्वारा आपत्ति किये जाने के कारण कार्यो के स्थान परिवर्तन किया जा रहा था जिस कारण स्थान परिवर्तन हेतु शासन स्तर पर स्वीकृति प्रेषित की गयी जो अभी अप्राप्त है।

अतः अनुसूचित जाति उप योजनान्तर्गत निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि रु0 74.56 करोड आवंटित किये जाने के बावजूद भी विगत 02 वर्षो से केवल 50 प्रतिशत निर्माण कार्य ही पूर्ण किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-02- वगत 8 वर्षों से राज्य वकलांग प्र शक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, पथौरागढ़ निर्माण में आंवटित धनरा श ₹ 26.45 लाख निदेशालय स्तर से अवरूद्ध।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं.-04/XVII(1)-2/2006-06 (49)/2006 दिनांक 15.03.2007 द्वारा राजकीय वकलांग प्र शक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, पथौरागढ़ के भवन निर्माण हेतु रू. 48.00 लाख की धनरा श पर वत्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वत्तीय वर्ष 2006-07 में ₹ 25.00 लाख की धनरा श भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, पथौरागढ़ को एवं भू म हस्तान्तरण तथा वृक्षारोपण हेतु ₹ 1.48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

निदेशक, समाज कल्याण कार्यालय के पत्र सं.- 122/सक/निर्माण-97/2007-08 दिनांक 16.04.2007 द्वारा अ धशासी अ भयन्ता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, पथौरागढ़ को धनरा श ₹ 25.00 लाख भवन निर्माण हेतु साथ ही पत्र सं.- 123/सक/निर्माण-97/2007-08 दिनांक- 16.04.2007 द्वारा प्रभागीय वना धकारी, वन प्रभाग, पथौरागढ़ को धनरा श ₹ 1.48 लाख भू म हस्तान्तरण तथा वृक्षारोपण हेतु प्रे षत की गयी थी।

अ धशासी अ भयन्ता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, पथौरागढ़ के पत्र सं.- 78/ग्रा.अ.से./कैश/2009-10 दिनांक 21.07.2009 द्वारा निदेशालय द्वारा प्रे षत की गयी धनरा श ₹ 25.00 लाख के सापेक्ष ₹ 24,97,280.00 वापस कया गया था। यह बताते हुये क चयनित भू म ववादित है। निदेशालय की लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर उत्तर में बताया गया क जब स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया उस समय भू म ववादित नही थी।

प्रभागीय वना धकारी, पथौरागढ़ को भू म हस्तान्तरण एवं वृक्षारोपण हेतु प्रे षत ₹ 1.48 लाख, भू म हस्तान्तरित न होने के कारण वन वभाग के पास पड़े हैं एवं निदेशालय की उदासीनता के कारण उक्त धनरा श की वापसी नहीं हो पायी।

अतः प्रकरण से यह प्रतीत होता है क निदेशालय स्तर की उदासीनता के कारण राज्य वकलांग प्र शक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के लये शासन द्वारा धनरा श अवमुक्त होने के बावजूद भवन का निर्माण नहीं हो पाया तथा साथ ही वन वभाग में धनरा श अवरूद्ध रहने के कारण पूर्व से संचा लत वकलांग केन्द्र आति थ तक प्रति माह ₹ 5200/- के कराये के भवन में संचा लत कया जा रहा है।

प्रकरण को उच्चा धकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03- वभागीय उदासीनता के कारण राजकीय आश्रम पद्धति वद्यालय श्रीनगर पौड़ी के ₹ 206.41 लाख व्यय के उपरान्त कार्य अपूर्ण रहना एवं एम.ओ.यू. के अनुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने से भवन कराये पर ₹ 4.14 लाख का अतिरिक्त व्यय।

राजकीय आश्रम पद्धति वद्यालय सण्डी जसकोट श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल में आवासीय एवं अनावासीय भवन का निर्माण कया जाना था। जिसमें अनुसू चत जाति के छात्र-छात्राओं समयान्तर्गत छात्रावास का लाभ प्राप्त हो सके। शासनादेश (मार्च 2011), एवं (मार्च 2012) के अनुसार राजकीय आश्रम पद्धति वद्यालय सण्डी जसकोट श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था पेयजल संसाधन वकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल को टी ए सी वत्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनरा श (₹ 6.41 लाख एवं ₹ 397.73 लाख) कुल ₹ 404.14 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्यदायी संस्था को दिनांक क्रमशः 04/2011, 06/2012) (₹ 6.41 एवं ₹ 200.00 लाख) कुल ₹ 206.41 लाख अवमुक्त कये गये। ग्राहक वभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य एम ओ यू गठित कया गया जिससे कार्य प्रारम्भ करने की ति थ 30.06.2012 एवं समाप्त होने की ति थ 31.12.14 थी। सम्प्रेक्षा अव ध (04/17) तक कार्य अपूर्ण है।

कार्यालय निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्दवानी नैनीताल के लेखा भलेखों की जांच में पाया गया है क सम्प्रेक्षा अव ध (03/17) तक कार्य पर ₹ 206.41 लाख व्यय कया जा चुका है एवं निर्माण कार्य अपूर्ण है। निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 1458 दिनांक 14.08.14 के अनुसार कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी थी। 24 माह में अवमुक्त धनरा श के सापेक्ष मात्र 35 प्रतिश कार्य कया गया है। अधूरे निर्माण कार्य हेतु कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण वंग द्वारा पत्रांक 1039 द्वारा पुनः उक्त कार्य के लए पुनरी क्षत आगणन ₹ 550.67 लाख को प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति हेतु इकाई/शासन को प्रे षत कया गया है। पूर्व की स्वीकृत आगणन की रा श ₹ 404.14 लाख के सापेक्ष अवशेष ₹ 197.73 लाख सहित कुल रा श ₹ 350.67 लाख की मांग पुन शासन/निदेशक स्तर पर की गयी है। वर्तमान में निर्माण कार्य रूका हुआ है। राजकीय आश्रम पद्धति वद्यालय सण्डी जसकोट श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल एम ओ यू के अनुसार 12/2014 में पूर्ण हो जाना चाहिए था। सम्प्रेक्षा अव ध (04/17) तक 28 माह से ज्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण है। जब क वर्तमान में वद्यालय कराये के भवन में संचा लत हो रहा है। जिसके लए प्रतिमाह ₹ 14808 की दर से 28 माह में कुल ₹ 4.14 लाख का भुगतान कया जा चुका है। यदि एम ओ

यू के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण कया जाता तो ₹ 4.14 लाख के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकता था। लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा है क स्वीकृत आगणन के अनुसार शासन स्तर से पूर्ण धनरा श अवमुक्त न होने के कारण कार्य समय के अंतर्गत पूर्ण नहीं हो पाया है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्यों क प्रारम्भ में ही 50 प्रतिशत धनरा श कार्य संस्था को अवमुक्त कर दी गयी थी। परन्तु कार्य की प्रगति अत्यन्त धीमी थी जिसका उल्लेख इकाई द्वारा भी कया गया है। तत्पश्चात वभाग द्वारा एम ओ यू की शर्तों के अनुसार वभाग कार्य कराने में भी सक्षम नहीं रहा। जिससे फलस्वरूप कराये के भवन में वद्यालय का संचालन करना पड़ा एवं कराये के रूप में ₹ 4.14 लाख अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

वभागीय उदासीनता के कारण आश्रम पद्धति वद्यालय श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के ₹ 206.41 लाख व्यय के उपरान्त कार्य अपूर्ण रहना एम ओ यू के अनुसार समयान्तर्गत कार्य पूर्ण न होने से भवन कराये पर ₹ 4.14 लाख का अतिरिक्त व्यय करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1... निर्माण कार्य की धनराशि रु0 20.37 लाख जनपद स्तर पर विगत एक वर्ष से अवरुद्ध रहना तथा कार्य अपूर्ण रहना।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्याः 247/XVII-4/2016-01(102)/2015 दिनांक 15 फरवरी 2016 के माध्यम से जनपद देहरादून विकास खण्ड चकराता के ग्राम बुरास्वा से डुगियारा में सी0 सी0 मार्ग निर्माण कार्य किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रु0 40.74 लाख व्यय करने की स्वीकृति निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी;

1. कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जाय जितनी तत्काल कार्यदायी संस्था को दिये जाने की आवश्यकता हो। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण कर बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा।

2. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विवरण प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी एवं निदेशक, समाज कल्याण का **होगा**।

सम्बन्धित अभिलेखों तथा उपलब्ध करायी गयी प्रगति विवरण की जॉच में पाया गया कि आवंटित धनराशि निदेशक, समाज कल्याण के पत्र दिनांक 29 फरवरी 2016 द्वारा सम्बन्धित समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी थी। प्रस्तुत प्रगति विवरण से ज्ञात होता है कि लेखापरीक्षा तिथि (अप्रैल 2017) तक आवंटित धनराशि रु0 40.74 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को रु0 20.37 लाख ही उपलब्ध करायी गयी थी तथा प्रगति विवरण में कार्य की भौतिक प्रगति भी अंकित नही थी परन्तु कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि का पूर्ण व्यय कर लिया जाना दर्शित था और निर्माण कार्य वर्तमान तक अपूर्ण था। अवशेष रु0 20.37 लाख की धनराशि जनपद स्तर पर अवरुद्ध दर्शायी गयी है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निर्माण कार्य को समय से पूर्ण करने के लिए निदेशालय स्तर से कोई अनुश्रवण नहीं किया गया था और न ही वर्तमान तक उक्त धनराशि के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया गया।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि निदेशालय स्तर पर आयोजित बैठकों में समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर असन्तोष व्यक्त किया गया तथा स्वीकृत निर्माण कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण कराने हेतु समय समय पर निर्देशित किया जाता है।

अतः निर्माण कार्य की धनराशि रु0 20.37 लाख जनपद स्तर पर विगत एक वर्ष से अवरुद्ध रहना तथा कार्य अपूर्ण रहने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–2... दशमोत्तर छात्रवृर्ति योजना के अंतर्गत अनुसू चत जाति **(SC)** के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक 102703 पात्र लाभा र्थयों को योजना के लाभ से वं चत रखना एवं जनपदों द्वारा ₹ 4923.28 लाख शासन को सम र्पत करना।

भारत सरकार द्वारा **अनुसूचिज जाति (SC)** दशमोंत्तर छात्रवृत्ति कक्षाओं में **अध्ययनरत** विद्यार्थियों के सहायता हेतु छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान **की जाती** है। यह शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है जो कि उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित **की जा रही** है। जनपद द्वारा मांग के आधार पर राज्य के लिये प्रस्तावित मांग राज्य सरकार के माघ्यम से भारत सरकार को **भेजी जाती** है। धनावंटन के पश्चात निदेशक समाज कल्याण द्वारा जनपदों को मागं के अनुसार छात्रव्त्ति की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

कार्यालय निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्दवानी नैनीताल अनुसू चत दशमोत्तर छात्रवृति के लेखा भलेखों की जांच में पाया गया क वभाग द्वारा तीन वर्षों में ₹ 4923.88 लाख की धनरा श शासन को सम र्पत की गयी। जिसके फलस्वरूप 102703 लाभार्थी योजना का लाभ पाने से वं चत रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क साफ्टवेयर में तकनीकी समस्या होने के कारण धनरा श सम र्पत करनी पड़ी एवं लाभार्थी योजना का लाभ पाने से वं चत रहे।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्यों क आई टी सैल के सहायक निदेशक के पत्रांक 483-84/ दिनांक 25 मार्च 2017 के अनुपालन में सतम्बर में ही धनरा श जनपदों को आवंटित की गयी थी। जब क निदेशालय द्वारा अनुश्रवण कया जाना चाहिए था क जनपदों द्वारा भुगतान सही समय पर कया जा सके जिससे की लाभा र्थयों को सही समय पर छात्रवृर्ति प्राप्त हो पाये।

दशमोत्तर छात्रवर्ति योजना के अंतर्गत अनुसू चत जाति **(SC)** के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक 102703 पात्र लाभा र्थयों का योजना के लाभ से वं चत रहना एवं जनपदों द्वारा ₹ 4923.88 लाख शासन को सम र्पत करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–3... दशमोत्तर छात्रवर्ति योजना के अंतर्गत अन्य पछडी जाति **(OBC)** के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक 59233 पात्र लाभा र्थयों को योजना के लाभ से वं चत रखना एवं जनपदों द्वारा ₹ 1711.35 लाख शासन को सम र्पत करना।

भारत सरकार द्वारा **अन्य पछडी जाति (OBC)** दशमोंत्तर छात्रवृत्ति कक्षाओं में **अध्ययनरत** विद्यार्थियों की सहायता हेतु छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान **की जाती** है। यह शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है जो कि उत्तराखण्ड राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित **की जा रही** है। जनपद द्वारा मांग के आधार पर राज्य के लिये प्रस्तावित मांग राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को **भेजी जाती** है। धनावंटन के पश्चात निदेशक समाज कल्याण द्वारा जनपदों को मागं के अनुसार छात्रव्त्ति की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

कार्यालय निदेशालय समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्दवानी नैनीताल अन्य पछडी जाति **(OBC)** दशमोत्तर छात्रवृति के लेखा भलेखों की जांच में पाया गया क वभाग द्वारा तीन वर्षों में ₹ 1711.35 लाख की धनरा श शासन को सम र्पत की गयी। जिसके फलस्वरूप 59233 लाभार्थी योजना का लाभ पाने से वं चत रहे।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत करने पर इकाई ने कहा क साफ्टवेयर में तकनीकी समस्या होने के कारण धनरा श सम र्पत करनी पड़ी एवं लाभार्थी योजना का लाभ पाने से वं चत रहे।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्यों क आई टी सैल के सहायक निदेशक के पत्रांक 483-84/ दिनांक 25 मार्च 2017 के अनुपालन सतम्बर में ही धनरा श जनपदों को आवंटित कर दी गयी थी। जब क निदेशालय द्वारा अनुश्रवण कया जाना चाहिए था क जनपदों द्वारा भुगतान सही समय पर कया जा सके जिससे क लाभा र्थयों को सही समय पर छात्रवृर्ति प्राप्त हो पाये।

दशमोत्तर छात्रवृर्ति योजना के अंतर्गत अन्य पछड़ी जाति **(OBC)** के छात्र-छात्राओं को वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक पात्र 59233 पात्र लाभा र्थयों को योजना के लाभ से वं चत रहना एवं जनपदों द्वारा ₹ 1711.35 लाख शासन को सम र्पत करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

प्रति. सं.	वर्ष	भाग-दो(अ)प्रस्तर सं.	भाग-दो(अ) प्रस्तर सं.	STAN प्रस्तर सं.
66	2004-05	शून्य	शून्य	01,02,03
20	2006-07	01	04	शून्य
14	2007-08	शून्य	04	02,03
66	2009-10	01,02,03,04,05	03	शून्य
23	2011-12	01,02,03,04	02	शून्य
65	2014-15	01,02,03	02,03,04	शून्य
23	2016-17	शून्य	01,02,03,04,05,06	शून्य

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त व र्णत अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के लए वभागीय लेखापरीक्षा स मति की बैठक लेखापरीक्षा के दौरान दिनांक 01.05.2017 को आयोजित की गयी थी। जिसमें लम्बित प्रस्तरों पर चर्चा की गयी तथा संस्तुति कार्यालय को अलग से प्रे षत की गयी है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

...................शून्य.................

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु निदेशालय, समाज कल्याण वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
   (i) शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री वश्णु संह धानिक	निदेशक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति निदेशालय, समाज कल्याण वभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाज क क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी
(सामाजिक क्षेत्र)